


आदेश की क्रम संख्या एवं तिथि	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई एवं तिथि
1	2	3
09/02/2022	<p>अभिलेख उपस्थापित किया गया। देनदार के नाम से नोटिस तामिला किया गया। देनदार श्री अंकुरा सिंकु, पिता- स्व० सिंगा सिंकु ग्राम- टुन्टाकाटा थाना- कुमारडुंगी,, जिला पश्चिमी सिंहभूम, झारखण्ड का केस सं० 95(Adv)/70-71 रूपये मुलधन-2513.50 ब्याज-2010.80 लगत-10.57 कुल-4535.05 राशि की वसूली कर ली गयी है। अतः अभिलेख की आगे की कार्रवाई बन्द की जाती है।</p> <p style="text-align: right;"> नीलाम पत्र पदाधिकारी, कुमारडुंगी।</p>	